सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.11.2026

थाना कोन पुलिस की गो-तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाए जा रहे 25 राशि गोवंश सकुशल बरामद, 01 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में गो-तस्करी एवं गोवंश के अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **सुश्री मेविस टाक** व क्षेत्राधिकारी ओबरा **श्री प्रभात राय** के पर्यवेक्षण में थाना कोन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कोन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए **वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 25 राशि गोवंश को सकुशल बरामद** करते हुए **एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**, जबकि चार अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।

घटना एवं पुलिस कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 01.11.2026 को प्रातः लगभग 04:50 बजे थाना कोन पुलिस टीम रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गो-तस्कर भारी संख्या में गोवंश को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते हुए पैदल बिहार की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल सक्रिय हुई पुलिस टीम द्वारा अमिलाधाम गरवान मार्ग के पास बहदौरा झरिया में घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर मौके पर मौजूद 04 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से कुल 25 राशि गोवंश को सकुशल बरामद किया गया। उक्त प्रकरण में थाना कोन पर **मु0अ0सं0-182/2026, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम विचार पुत्र स्वर्गीय मनोहर, निवासी ग्राम बेलछ, थाना कोन, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 45 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में प्रकाश में आया कि गोवंशों को थाना रॉबर्ट्सगंज, थाना घोरावल एवं जनपद मिर्जापुर की सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों से कम कीमत पर खरीदकर ग्राम बेलछ, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र में एकत्रित किया जाता था। इसके पश्चात गोवंशों को पैदल हांकते हुए जंगल एवं पहाड़ी के रास्तों से चेरुईगरवान, अमिलाधाम के नीचे से मुहअना जंगल होते हुए बैजनाथे के रास्ते बिहार ले जाया जाता था, जहां बिहार के व्यापारियों को बेचा जाता था। अभियुक्त के कथनानुसार बिहार के व्यापारियों द्वारा गोवंशों को वध हेतु पश्चिम बंगाल भेजा जाता था।

अभियुक्त के अनुसार इस पूरी गतिविधि में गोवंशों का परिवहन वाहनों के माध्यम से न करके पैदल हांककर जंगल एवं पहाड़ी के रास्तों से किया जाता है। इस प्रकार गोवंशों को ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित कर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचाने की योजना थी। फरार अभियुक्तों एवं इस अवैध गतिविधि में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल 25 राशि गोवंश सकुशल बरामद, जिसमें 08 बैल, 03 बछड़े, 08 गाय एवं 06 बछिया शामिल हैं।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 शिवप्रकाश यादव चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 मूरली यादव चौकी प्रभारी रानीडीह थाना कोन जनपद सोनभद्र।